

प्रेस नोट 26.03.2020

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 100000 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आकाश तोमर इटावा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण / अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी जसवन्तनगर के नेतृत्व में थाना बलरई पुलिस व मानीट्रिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को मा0न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सश्रम कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.08.2018 को थाना बलरई पर वादी समरथ सिंह के घर में घुसकर अभियुक्त प्रदीप पुत्र राधामोहन निवासी कोकावली थाना बलरई जिला इटावा द्वारा वादी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना बलरई पर तहरीर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बलरई पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 68/18 धारा 452, 354(ख) भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलित कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 376 भादवि की बढोत्तरी कर आरोप पत्र दिनांक 22.08.2018 को धारा 452, 354ख, 376 भादवि में मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। थाना बलरई पुलिस टीम एवं मानीट्रिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

सजायाफ्ता अपराधी-

1. प्रदीप पुत्र राधामोहन निवासी कोकावली थाना बलरई जिला इटावा

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा